न्यायालय अपर कलक्टर, नागौर, जिला नागौर (राज.)

पीठासीन अधिकारी – श्री चम्पालाल जीनगर, आर0ए0एस0

पंचायत निगरानी संख्या : 43 / 2024

प्रार्थी	बनाम	अप्रार्थीगण
सेठ मेघराज बोथरा एण्ड माणकचंद बोथरा राजकीय आदर्श उच्च माध्यमिक विद्यालय गोगेलाव तहसील व जिला नागौर जरिये प्राधानाचार्य।		1 हडमान पुत्र हजारीराम जाति कुम्हार निवासी गोगेलाव तहसील व जिला नागौर। 2 जहूरदीन पुत्र लाल मोहम्मद जाति मुसलमान तेली निवासी गोगेलाव तहसील व जिला नागौर। 3 सरपंच, ग्राम पंचायत गोगेलाव तहसील व जिला नागौर।

उपस्थिति–

1 श्री हरीप्रसाद सांचौरा अधिवक्ता, प्रार्थी की ओर से

2 श्री शफीक खिलजी, अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 01 व 02 की ओर से।

3 श्री ओमप्रकाश गौड, अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 03 की ओर से।

पंचायत निगरानी अन्तर्गत धारा 97 राज. पंचायतराज अधिनियम 1994

निर्णय दिनांक 31.07.2025

1– प्रकरण इस प्रकार है कि प्रस्तुत निगरानी राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 97 के अन्तर्गत ग्राम पंचायत गोगेलाव द्वारा पट्टा संख्या 02 दिनांक 23.08.1984 को जारी किया गया, से असंतुष्ट होकर दिनांक 04.10.24 को प्रस्तुत की गई। प्रार्थी की निगरानी दिनांक 09.10.2024 को दर्ज रजिस्टर की जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 01 व 02 की ओर से श्री शफीक खिलजी अधिवक्ता ने वकालतनामा पेश किया, अंतिम बहस के वक्त वकील अप्रार्थी संख्या 01 व 02 को बार बार आवाजे लगवाई गई, परन्तु वे गैर हाजिर रहे। अप्रार्थी संख्या 03 की ओर से ओमप्रकाश गौड, अधिवक्ता ने वकालतनामा पेश किया। प्रार्थी ने अपनी निगरानी के समर्थन में पट्टा संख्या 02 दिनांक 23.08.1984 की फोटोप्रति, इकरारनामा दिनांक 08.07.1994 की फोटोप्रति, विक्रय पत्र दिनांक 01.09.94 की फोटोप्रति, ग्राम गोगेलाव की जमाबंदी संवंत 2077 की फोटोप्रति, मौका रिपोर्ट दिनांक 22.08.2000 की फोटोप्रति पेश की। अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड मंगाया गया।

2– उभयपक्ष की बहस सुनी गई। दौराने बहस वकील प्रार्थी ने निगरानी में वर्णित तथ्यों को दुहराते हुए दलील दी कि –

2(1)– हस्तगत पटटा गैर निगरानी सरासर गलत, फर्जी, कूटरचित कागजी तौर से अपराधिक षडयंत्र के तहत तैयार किया होने से निरस्त किये जाने योग्य है।

2(2)–ग्राम पंचायत गोगेलाव के तत्कालीन सरपंच भेराराम द्वारा कथित पटटा संख्या 2 दिनांक 23.08.1984 को कथित हडमानराम पुत्र हजारीराम कुम्हार निवासी गोगेलाव के नाम से कभी जारी नहीं किया गया था, कथित पटटा पर किसी भी प्रकार की कोई मिसल नम्बर दर्ज नहीं है न ही आवंटी के हस्ताक्षर है न ही निशुल्क आवासीय आवंटन भूखण्ड कभी कथित हडमानराम को आवंटित ही किया गया है इसके बावजूद जहूरदीन ने व कथित हडमानराम ने आपस में षडयंत्र करके फर्जी मूल्यवान कूट प्रतिभूमि की रचना करके यह जानते हुए कि फर्जी पटटा बनाया हुआ है फिर भी उसे असल के रूप में काम में लेकर हडमानराम से जहूरदीन ने अपने पक्ष में फर्जी व नुमाईशी हस्तान्तरण विलेख निष्पादित कर पंजीयन करवा लिया, इतना ही नहीं सिविल न्यायालय में उस पटटे के आधार पर विक्रय पत्र होना बता कर व पटटा को सही होना बता कर न्यायालय में पेश कर अपराधिक कृत्य किया है जिसके संबंध में जहूरदीन, हडमानराम व उनके षडयंत्र में सहयोगी कालूराम पुत्र गणेशराम जाट निवासी बाराणी, गोरधनराम पुत्र मांगीलाल जाट निवासी बाराणी वगैरा के विरूद्व पुलिस विभाग में निगरानीकर्ता की ओर से अलग से कार्यवाही की जायेगी मगर चूंकि कथित फर्जी पटटा की आड में निगरानीकर्ता स्कूल की भूमि को अप्रार्थी जहूरदीन व उसके सहयोगी हडप करना चाहते है इस कारण उक्त फर्जी पटटा को सक्षम न्यायालय में निरस्त करवाना आवश्यक होने से यह निगरानी कथित पटटा को निरस्त करवाने के लिए पेश की जाना आवश्यक हुआ है।

2(3)– प्रथम तो ग्राम पंचायत गोगेलाव द्वारा ऐसा कोई पटटा संख्या 2 हडमानराम के नाम कभी जारी ही नहीं किया गया है दोयम में कथित पटटे को देखने मात्र से प्रतीत है कि उक्त पटटा विधिवत प्रक्रिया के तहत जारी होना किसी भी दृष्टि से नजर नहीं आ रहा है तथा पटटा की पुश्त पर कोई पडौस आदि का विवरण भी दर्ज नहीं है तत्कालीन सरपंच भेराराम के हस्ताक्षर फर्जी किये गये है। भेराराम के सरपंच काल में ऐसा कोई पटटा उन्होने हडमानराम के नाम से जारी नहीं किया गया है व उक्त भूमि के कथित पट्टा में जो नक्शा बनाकर उसके पडौस दर्शाये है व बीच में आंवटन लिखा है ऐसे पडौस की कोई भूमि मौके पर

31/7/–

अपर कलक्टर, नागौर

नहीं रही है और उक्त पटटा के आधार पर कथित हडमानराम ने एक इकरारनामा अप्रार्थी जहूरदीन जिसे इकरारनामा में जंवरूदीन लिखा है उसके पक्ष में दिनांक 08.07.1994 को निष्पादित करना बताया है उसमें दर्शित पडौस व कथित पटटा की पुश्त पर नक्शा में जो पडौस बताये है वे भिन्न भिन्न है यानि दोनो दस्तावेजों के पडौस मेल नहीं खाते है। इसके अलावा कथित इकरारनामा के पृष्ठ संख्या 2 में 11 वीं लाईन में लिखा हुआ है कि यह भूखण्ड गांव से दूर है व अविकसित एरिया में आया हुआ है पूरी आबादी भी पास में नहीं है जबकि कथित भूमि आबादी की बता कर पटटा जारी करना बताया है व इकरारनामा में उससे भिन्न तथ्य दर्ज किये गये है कथित इकरारनामा के अंत में दिनांक 08.07.1994 लिखा है जो टंकण किया हुआ है उसके बाद में रफीक खां व अलाबक्स की साख बाद में फर्जी तरीके से डाली हुई है। तत्पश्चात करीब ढेढ दो माह बाद कथित पटटा व इकरारनामे के आधार पर हडमानराम द्वारा जहूरदीन के पक्ष में बेचान दिनांक 02.09.1994 को बताया जा रहा है लेकिन कथित विक्रय पत्र में पडौस अलग ही दर्ज किये हुए है यानि इकरारनामा में दक्षिणी तरफ खाली भूमि बतायी है व विक्रय पत्र में दक्षिणी तरफ खरीददार की जायगा होना बताया है और कथित पटटा के नक्शा में जो दक्षिणी पडौस बताया है उसमें कब्जासुद भूमि धन्नाराम मेघवाल की होना बताया है, इसके अलावा पूर्वी तरफ का पडौस पटटा व इकरारनामा में पडत भूमि बताई है जबकि विक्रय पत्र में पूर्वी तरफ का पडौस आप खरीददार की जायगा होने का अंकन किया गया है, यानि पटटा इकरारनामा व कथित विक्रय पत्र तीनो में पडौस भिन्न भिन्न दर्ज किये हुए है एवं कथित विक्रय पत्र के साथ ब्ल्यूप्रिंट नक्शा में सरासर गलत व फर्जी दिनांक 24.06.1994 का तैयार करके पेश किया गया है जिसमें पडौस अलग है इकरारनामा की तारीख से पहले का विक्रय पत्र का ब्ल्यूप्रिंट नक्शा बनाया हुआ है यानि तात्पर्य यह है कि स्कूल की खेल मैदान की भूमि को नाजायज रूप से हडपने के लिए फर्जी पटटा तैयार करके उसके आधार पर आगे के कूटरचित दस्तावेज तैयार किये गये है इस कारण उक्त पटटा निरस्त किये जाने योग्य है।

2(4)– जबकि ग्राम पंचायत गोगेलाव के रेकर्ड के अनुसार पटटा संख्या 2 दिनांक 23.04.1984 को मोटाराम व आईदानराम पुत्र रामसुख जाति जाट निवासी गोगेलाव के नाम से विधिवत जारी किया हुआ है जिसकी जायगा अलग है स्कूल मैदान व स्कूल भूमि से उसका कोई सरोकार नहीं है व उसी वर्ष का पटटा संख्या 2 हडमानराम के नाम का सरासर फर्जी तैयार किया गया है यानि मोटाराम व आईदानराम के हक में जारी पटटा की तारीख 23.04.1984 है व कथित फर्जी पटटा संख्या 2 में तारीख 23.08.1984 की गयी है यानि तारीख में महीना बदल कर फर्जी तारीख लगा कर व फर्जी हस्ताक्षर करके कूटरचित पटटा बनाया गया है ग्राम पंचायत में ऐसे फर्जी का कोई रिकॉर्ड, मिसल तक नहीं है ऐसी स्थिति में पटटा संख्या 2 जो हडमानराम के नाम से होना बताया जा रहा है सरासर फर्जी व कूटरचित होने से निरस्त किये जाने योग्य है।

2(5)– निगरानीकर्ता स्कूल के खेल मैदान का कुल क्षेत्रक्षल 17.10 बीघा है स्कूल मैदान के किसी भी हिस्से पर अप्रार्थी हडमानराम या जहूरदीन का कभी कोई कब्जा हक अधिकार नहीं रहा है जबकि उक्त भूमि स्कूल के लिए राज्य सरकार के आदेशानुसार मूल खसरा नम्बर 241 में से आवंटन होकर तहसीलदार के आदेश क्रमांक/भू.अ./2000/1955 दिनांक 17.07.2000 की पालना में दिनांक 22.08.2000 को हल्का पटवारी, सरपंच, ग्रामवासियों की उपस्थिति में भूमि का कब्जा स्कूल को सुपुर्द किया गया। इस प्रकार यदि कथित पटटासुद भूमि अप्रार्थीगण की होती तो उस समय अवश्य उजर आपित की जाती। अप्रार्थी हडमानराम के नाम यदि ग्राम पंचायत ने ऐसा कोई पटटा इस भूमि के संबंध में जारी किया गया होता तो उस पटटा की सम्पूर्ण मिसल, किसने आवेदन किया, कब मौका निरीक्षण किया व कब आम सूचना आपति जारी की गयी व किसके हस्ताक्षरों से पटटा जारी किया गया इस संबंध में तमाम आवश्यक सूचनाए पटटे पर अंकित होती व निगरानीकर्ता द्वारा पंचायत से मांगने पर पंचायत द्वारा उपलब्ध करवाई जाती, लेकिन ऐसा कोई रिकॉर्ड पंचायत में नहीं है क्योंकि पटटा सरासर गलत व फर्जी तौर पर कूटरचना से केवल स्कूल की भूमि हडपने के लिए षडंयंत्र के तहत बनाया होने के कारण निरस्त किये जाने योग्य है।

2(6)–स्कूल की सम्पूर्ण भूमि पर स्कूल की चारदीवारी करवाई हुई है अप्रार्थीगण का कोई कब्जा मौके पर न तो कभी रहा न आज दिन है इसके बावजूद कथित कूटरचित पटटा के आधार पर न तो कभी रहा न आज दिन है इसके बावजूद कथितकूटरचित पटटा के आधार पर झूठा हक अधिकार लगाया जा रहा है जबकि राज्य सरकार से अनुमति प्राप्त कर अप्रार्थी संख्या 3 ग्राम पंचायत गोगेलाव द्वारा दिनांक 30.11.2015 से पूर्व ही स्कूल मैदान की पश्चिमी व दक्षिणी दीवार का कार्य पूर्ण करवा दिया था, जिसकी प्रशासनिक स्वीकृति दिनांक 17.12.2014 को पंचायत समिति नागौर द्वारा ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग राजस्थान जयपुर के परिपत्र क्रमांक एफ.27 (79) ग्रा.वि./अनु.–5/जी.के.एन./प्रशा.अनु.सं./2014 दिनांक 17.09.2014 की पालना में जारी की गयी, जिससे प्रतीत होता है कि चारदीवारी का निर्माण कार्य ग्राम पंचायत अप्रार्थी

3/7/-
अपर कलक्टर, नागौर

संख्या 3 द्वारा वर्ष 2015 में ही पूर्ण हो गया था। कथित पटटा में बतायी भूमि काल्पनिक है उस पर कभी भी न तो हडमानराम का अधिकार कब्जा रहा न जहूरदीन का रहा है तथाकथित जो पटटा बताया जा रहा है निशुल्क आंवटन का बताया जा रहा है हालांकि वह फर्जी है लेकिन बहस के तौर पर उसको पढा जावे तो भी उसमें स्पष्ट शर्त है कि आवंटी भूमि हस्तान्तरण योग्य नहीं रहेगी, ऐसी स्थिति में जहूरदीन को कोई अधिकार उक्त भूमि बाबत प्राप्त नहीं होते हुए भी उक्त भूमि को पटटासुद होना बता कर स्कूल के कब्जे उपयोग उपभोग मे दखल कर तंग परेशान कर स्कूल संचालन में बाधा उत्पन्न की जा रही है ऐसी स्थिति में कथित फर्जी पटटा को निरस्त किया जाना न्याय संगत है।

3— अप्रार्थी संख्या 03 ने प्रार्थी की बहस का समर्थन किया।

4— पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात् का अवलोकन किया गया। बहस पर मनन किया गया। प्रार्थी द्वारा निगरानी राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 97 के अन्तर्गत ग्राम पंचायत गोगेलाव द्वारा पट्टा संख्या 02 दिनांक 23.08.1984 को निरस्त किये जाने को लेकर प्रस्तुत की गई। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत पट्टा संख्या 02/ दिनांक 23.08.1984 का अवलोकन करने से ज्ञात होता है कि उक्त पटटे पर न तो मिसल संख्या अंकित है, न ही बुक संख्या एवं न ही रसीद संख्या अंकित है। पत्रावली पर उपलब्ध इकरारनामे पर अंकित है कि उक्त भूखण्ड गांव से दूर है एवं आबादी भी पास में नहीं है। जिससे प्रतीत होता है कि उक्त पट्टा ग्राम पंचायत द्वारा आबादी भूमि से बाहर जारी किया गया है, जिससे ज्ञात होता है कि ग्राम पंचायत ने पटटा बनाते समय राजस्थान पंचायती राज अधिनियम के नियमों की पालना नहीं की है। ग्राम पंचायत गोगेलाव के पत्रांक 295 द्वारा बताया कि पट्टा संख्या 02 दिनांक 08.11.1984 को मोटाराम, आहीदान आत्मज श्री रामसुख जाट के नाम से जारी किया गया है परन्तु पटटा संख्या 02 दिनांक 23.08.1984 को जारी किया गया हो, ऐसा कोई रिकार्ड ग्राम पंचायत में उपलब्ध नही है। जिससे पट्टा की वैधानिकता पर संशय पैदा होता है। ऐसी स्थिति में आदेश जैर निगरानी में हस्तक्षेप किया जाना उचित प्रतीत होता है।

5— उपर्युक्त विवेचन के आधार पर प्रस्तुत निगरानी स्वीकार की जाकर ग्राम पंचायत गोगेलाव द्वारा अप्रार्थी सं. 1 हडमानराम पुत्र हजारीराम के हक में जारी पट्टा संख्या 02 दिनांक 23.08.1984 व इससे संबंधित ग्राम पंचायत का प्रस्ताव जैर निगरानी निरस्त किया जाता है।

6— निर्णय आज खुले न्यायालय में सुनाया गया।

3/7/

(चम्पालाल जीनगर)
अपर कलक्टर, नागौर

अपर कलक्टर, नागौर